पीड़ित महिला को नहीं मिल रहा न्याय

भाजपा महिला और मानव अधिकार आयोग में होगी शिकायत

मंडला, देशबन्धु। भाजपा के शासनकाल में मप्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और यह अत्याचार शासन प्रशासन की संरक्षण में किए जा रहे हैं इसके बावजूद भी भाजपा मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भाजपा की कार्यकर्ता ग्राम परसवाड़ा तहसील नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी अनीता यादव के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं।

अनीता यादव द्वारा ग्राम पाठ सिहोरा में जनरल स्टोर शासकीय भूमि में संचालित किया जा रहा है इनके द्वारा इस स्थान में मकान का निर्माण ग्राम वासियों की सहमति से किया जा रहा था ग्राम वासियों ने ही इसी भूमि में जनरल स्टोर संचालित करने के लिए सहमति प्रदान की थी इसके बाद भी मंडला के कपिल कछवाहा और उनके चार साथी गुंडो ने आकर पक्का मकान तोड़ दिया था इस संबंध में पुलिस प्रशासन को कई माध्यम से शिकायत की गई जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर को कई बार आवेदन पत्र दिए गए पुलिस 100 नंबर को भी शिकायत की गई इसके बाद भी कोई सही कार्यवाही नहीं होने की वजह से पीड़ित महिला विगत 1 साल से न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही है पीड़ित महिला अनीता यादव भाजपा की कार्यकर्ता है और इनका पूरा परिवार भाजपा के लिए समर्पित होकर काम करता है इसके बावजूद भी भाजपा के ही शासन काल में इन्हें न्याय नहीं मिलना आश्चर्जनक लग रहा है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अनीता यादव ने भाजपा के अनेक पदाधिकारी को भी इस संबंध में अवगत कराया है इसके बावजूद भी यह सभी न्याय दिलाने में लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है ग्राम से लेकर जनपद जिला स्तर तक के भाजपा पदाधिकारी को उनके द्वारा कई माध्यम से सूचित किया गया है कि न्याय नहीं मिल रहा है इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के माध्यम से न्याय दिलाने में उनके द्वारा विलंब किया जा रहा है कपिल कछवाहा दावा कर रहा है कि अनीता यादव उसकी स्वयं की निजी भूमि पर काबिज है जबकि सरकारी रिकॉर्ड ड्रोन कैमरा के सर्वे और किसान ऐप में वह भूमि शासकीय दिखाई दे रही है पटवारी और राजस्व निरीक्षक पैसों के प्रभाव में आकर फर्जी प्रतिवेदन बना रहे हैं और कपिल कि ही भूमि में कब्जा होना बता रहे हैं।

इस बात से पीड़ित महिला नाराज है और गांव वाले भी शासन प्रशासन और भाजपा की उदासीनता की वजह से नाराज होते जा रहे हैं बताया जा रहा है कि राजस्व कार्यालय नैनपुर में 1 साल से इस मामले को उलझा कर रखा गया है और अनावश्यक रूप से महिला को एक महीने में चार-चार बार पेशी कराकर परेशान कराया गया है बताया यह भी जा रहा है कि अब फैसला होना बाकी रह गया है जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं यदि फैसला पीड़ित महिला के पक्ष में नहीं आता है तो पीड़ित महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन गृहमंत्री पुलिस प्रशासन के राज्य स्तरीय अधिकारी मानव अधिकार आयोग महिला आयोग सहित अन्य जगह में उच्च स्तरीय शिकायत करेगी ऐसी संभावना जताई जा रही है जन अपेक्षा है पीड़ित महिला को तत्काल न्याय दिया जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार न किया जाए जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़े।

मप्र मानव अधिकार आयोग मण्डला कार्यालय भवन संकट में, सुरक्षा की अनदेखी पर सवाल

मंडला, देशबन्धु। सूत्रों के अनुसार, मण्डला जिले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ गंभीर भवन समस्या का सामना कर रहा है। कई बार आवेदन देने के बाद भी इस आयोग को एक सुरक्षित और स्थायी कार्यालय की सुविधा नहीं मिल सकी है। मौजूदा स्थिति यह है कि इनका कार्यालय जर्जर और असुरक्षित भवन में संचालित हो रहा है, जो किसी भी वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है।

जिला पंचायत की पुरानी बिल्डिंग, जो की बदहाल स्थिति में है, इसमें अब भी कई कार्यालय चल रहे हैं। प्रशासन ने इस भवन को तोड़ने का आदेश तो दिया है, लेकिन कुछ कमरे अभी भी बचे हैं जहां सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, जिसमें मानव अधिकार आयोग का कार्यालय भी शामिल है। आज सुबह इस कार्यालय का छप्पर गिर जाने की घटना सामने आई, जिसमें सामान की भी टूट-फूट हुई। इस घटना ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानव अधिकार आयोग मण्डला द्वारा नए कार्यालय की मांग कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की इस अनदेखी से न केवल सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर क्या कदम उठाता है।

सार-समाचार

चिलमन के ट्रांसफार्मर में लगी आग

मंडला, देशबन्धु। सोमवार की शाम चिलमन चौक स्थित मण्डला गैस कंपनी के पास लगे एक पुराने ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इस घटना ने बिजली विभाग की लापरवाही और शहर में लगे पुराने ट्रांसफार्मर्स की बदतर स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि चिलमन चौक और अन्य कई क्षेत्रों में ऐसे ट्रांसफार्मर लगे है जो वर्षों पुराने हैं, जिनकी देखरेख में बिजली विभाग की ओर से बेहद लापरवाही बरती जा रही है। इन ट्रांसफार्मर की नियमित मेंटेनेंस के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है, जबकि घाट किनारे लगे कई ट्रांसफार्मर का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। इसके बावजूद इनकी स्थायी सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या सालों से बनी हुई है और स्थानीय बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इस स्थिति को और अधिक जटिल बना रही है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला और बढ़ सकता है अगर विभाग समय रहते ठोस कदम नहीं उठाता। जनापेक्षा की गई है कि जल्द से जल्द बिजली विभाग नगर में लगे समस्त ट्रांसफार्मर का सुधार करवायेगी। चिलमन के ट्रांसफार्मर में लगी आग।

हरदहा महासभा की बैठक आयोजित

मंडला, देशबन्धु। काछी (हरदहा) समाज महासभा की जिला स्तरीय आवश्यक बैठक हरदहा पंचायत भवन बम्हनी बंजर कार्यालय में आज 12 नवम्बर को दोपहर 2.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक के मुख्य बिन्दु प्रतिभावान छात्र छात्रों जो वर्ष 2023-24 में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक - प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, पीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त, नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस प्रथम वर्ष में प्रवेशित, जेईई परीक्षा उत्तीर्ण कर इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में प्रवेशित स्वजातीय छात्रों के साथ-साथ समाज के 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को सम्मानित किया जानें एवं अन्य विषयों पर चर्चा की जानी है। बैंठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील महासभा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार हरदहा, संरक्षक गणेश हरदहा, संरक्षक गोपाल हरदहा, कोषाध्यक्ष (कार्यवाहक सचिव) नरोत्तम हरदहा उपाध्यक्ष ठुत्रू लाल हरदहा, उपाध्यक्ष छोटे लाल हरदहा आदि ने की है।

बाल विवाह रोकने हेतु चलाया जा रहा जनजागरुकता अभियान

मंडला, देशबन्धु। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती शालिनी तिवारी के निर्देशन में वन स्टॉप सेंटर (सखी) के द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिसके तहत वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों के द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है। जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं, सभी के लिये उचित दण्ड का प्रावधान है। जिसमें माता-पिता के अलावा पुजारी, मौलवी, रिश्तेदारों, बिचौलिये, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, बैंड, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल हो सकते हैं। आयोजित कार्यक्रम में बाल विवाह में पकड़े जाने पर होने वाली सजाओं के प्रावधानों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उक्त अभियान में वन स्टॉप सेंटर एवं हब में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया गया। अभियान अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

पत्रकार इस्माइल खान को पितृशोक

मंडला, देशबन्धु। राज एक्सप्रेस के जिला ब्यूरो इस्माइल खान के पिता का अचानक निधन हो गया। इनके निधन की खबर शुभचिंतको व रिश्तेदारों को लगी तो सभी ने शोक व्यक्त किया।

भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन, सौंपा ज्ञापन

मंडला, देशबन्धु। सोमवार को भारतीय किसान संघ का गठन पंकज विभाग प्रचारक के मुख्य अतिथि में एवं भारतीय किसान संघ प्रांत संगठन मंत्री भारत पटेल की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से राम सिंधिया का नाम जिला अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित एवं समर्थन किया गया इसी कड़ी में जिला मंत्री अरविंद पटेल, जिला उपाध्यक्ष के लिए भगवान दास कछवाहा, जिला उपाध्यक्ष कुंदन पटेल, दुर्गेश गिरी गोस्वामी, शगनू नंदा, का नाम प्रस्तावित किया गया एवं कोषाध्यक्ष के लिए पवन पटेल का नाम एवं विधि सलाहकार के लिए अधिव्यक्ता विवेक रंजन मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया गया।

तदुपरांत जिला की कार्यकारिणी ने जिला संरक्षक के लिए सुनील नामदेव वरिष्ठ कार्यकर्ता का नाम प्रस्तावित हुआ, प्रचार प्रसार मंत्री का दायित्व पुहुप सिंह भारत एवं संदीप कछवाहा को दिया गया। जिला गठन की प्रक्रिया के साथ ही बिछिया तहसील अध्यक्ष जमुना यादव एवं उपाध्यक्ष अरुण पटेल को भी तिलक माला से सम्मानित किया गया, साथ ही आगामी मंडला तहसील की कार्यकारिणी के लिए कृष्ण कुमार पटेल को मंडला तहसील प्रभारी के लिए नियुक्त किया गया।

कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भी उपस्थित रही जिसमें पूर्व प्रांत अध्यक्ष दशरथ चंद्रोल, लाल नंदा, लखन, अशोक नाविक, गणेश प्रसाद हरदा, प्रेमलाल गुप्ता, घनश्याम पटेल, प्रहलाद कछवाहा, नरोत्तम सिंह मरकाम , जानकी प्रसाद पटेल , नीलमणि सिंगौर एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की भी उपस्थित रही जिसमें मिथिलेश पटेल, वेद प्रकाश पटेल, मंगेश शिवात्री, गणेश प्रसाद, आलोक चौरसिया, किशोरी लाल यादव, कृष्ण कुमार पटेल, राजाराम चंद्रोल,योगेश श्रीवास, जयंत पटेल एवं अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही । कार्यक्रम के दौरान चुनाव पूर्व घोषणा अनुसार धान की ?3100 प्रति क्विंटल खरीदी एवं कृषकों की अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा

मंडला, देशबन्धु। जिला शाखा अध्यक्ष बीके राय के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा मंडला द्वारा बड़ी संख्या में पेंशनरों ने बैगा बैगी चौक में एकत्र होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौपा है। प्रमुख मांगों में धारा 49 के समाप्त किया जाना, केंद्र के समान तथा उसी दिनांक से महंगाई राहत दिया जाना, पेंशनरों से आयकर नहीं लिया जाना ,पेंशनरों को रेल तथा बस में पूर्व के समान किराए में छूट दिया जाना, 5 लाख तक निः शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना व अन्य मांगें शामिल रहीं।

अवैध खनिज भंडारण करने वाले दो वाहनों को किया जब्त

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में खनिज विभाग मण्डला के द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाहियाँ की जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि सोमवार को बीजाडांडी क्षेत्र अन्तर्गत खनिज रेत एवं गिट्टी का अवैध परिवहन/भण्डारण में संलिप्त 2 वाहन पावर ट्रेक्टर एवं महिन्द्रा ट्रेक्टर को खनिज विभाग के द्वारा जप्त किया गया। उक्त वाहन को जप्त कर शासकीय अभिरक्षा में संबंधित थाना प्रभारी, थाना बीजाडांडी की सुपुर्दगी में दिया गया। वाहन के विरूद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत् प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक एवं खनिज अमले द्वारा की गई।

कलेक्टर ने पंचचौकी महाआरती आयोजन हेतु विभागों को सौंपी जिम्मेदारी

मंडला, देशबन्धु। माँ नर्मदा नदी के महिष्मति घाट में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 से संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की जाएगी। पंचचौकी महाआरती के आयोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पंचचौकी महाआरती के लिए घाटों और पुजारियों का चयन कर लिया गया है।

महिष्मति घाट (रपटाघाट) में नामकरण का बोर्ड लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के समक्ष सोमवार को महिष्मति घाट में पुजारियों के द्वारा पंचचौकी महाआरती का रिहर्सल किया गया। इस दौरान माँ नर्मदा जी पंचचौकी महाआरती में माँ नर्मदा जी के समक्ष सावधान मुद्रा में होकर आरती उतारी गई। पंचचौकी महाआरती के बाद नर्मदा नदी में दीप प्रज्वलित कर प्रवाहित किए गए। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, नगरपालिका मंडला उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े, समाजसेवी प्रफुल्ल मिश्रा, उमाशंकर सिंधिया एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 12 नवंबर 2024 को नर्मदा नदी के महिष्मति घाट में आयोजित होने वाली पंचचौकी महाआरती के लिए एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम को नोडल अधिकारी और परियोजना अधिकारी डीएटीटीसी कपिल तिवारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कानून व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग, चौक चौराहों की साज-सज्जा हेतु शिक्षा विभाग, चुनरी एवं कलश यात्रा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, घाट का नामकरण हेतु राजस्व एवं नगरीय प्रशासन, माँ नर्मदा जी की पंचचौकी महाआरती हेतु राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं समस्त विभाग, लेजर शो हेतु जिला प्रशासन, प्रसादी वितरण हेतु खाद्य विभाग, संपूर्ण मंच व्यवस्था हेतु पीआईयू विभाग, आशीष भेंट महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यक्रम स्थल में टेंट, एलईडी एवं बैठक व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल में साफ-सफाई हेतु नगरीय प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन, मंच संचालन हेतु शिक्षा विभाग, कार्यक्रम स्थल में विद्युत एवं जनरेटर व्यवस्था हेतु विद्युत विभाग, प्रचार-प्रसार एवं पत्रकारों की कव्हरेज एवं बैठक व्यवस्था हेतु जनसंपर्क विभाग एवं एम्बुलेंस हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें : अपर कलेक्टर

मंडला, देशबन्धु। अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि सभी विभाग प्रमुख अधिकारी सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से संतुष्टिपूर्वक दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण लेवल-1 एवं लेवल-2 पर करना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाईन में कार्यक्षेत्र से बाहर प्रकरणों में संबंधित विभागों को हस्तांतरित करें या फोर्स क्लोज कराएं। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें, जिससे प्रदेश स्तर में जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह सोमवार को जिला योजना भवन में आयोजित बैठक में समय सीमा पत्रकों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर एसडीएम सीएल वर्मा, एसडीएम हुनेन्द्र घोरमारे, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह ने समय सीमा की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें उक्त नोटिस का निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्रस्तुत करना होगा। संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आयोजित बैठक में 15 नवंबर को होने वाले विशेष ग्रामसभा सह उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रगति के संबंध में समीक्षा की।

अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लम्बित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की। न्यायालयीन प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा में जवाब दावा प्रस्तुत करने को कहा। न्यायालयीन प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में आयुष्मान कार्ड के प्रगति के संबंध में भी समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह ने वनाधिकार पट्टा पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होंने वनाधिकार पट्टों में प्रगति न होने की स्थिति में नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि 12 नवंबर को माँ नर्मदा जी की संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती प्रारंभ होगी। उक्त कार्यक्रम के लिए सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने 12 नवंबर को पंचचौकी महाआरती के अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। पंचचौकी महाआरती के लिए सभी अधिकारियों को घोषणा अनुसार राशि निर्धारित समय में जमा करने के निर्देश दिए।